



राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ 1(38) परि/स्था/92/ 23735 जयपुर, दिनांक :- 06.10.2022

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(38) परि/स्था/92/ पार्ट-1/8640 दिनांक 27.04.2021 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार श्री विनोद कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त को एतद् द्वारा जयपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अंतर्गत ट्यूरिस्ट परमिट को छोड़कर सभी प्रकार की परिवहन यानों के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

एवं संयुक्त शासन सचिव

23736-749

क्रमांक:- एफ 1(38) परि/स्था/92/

जयपुर, दिनांक :-06.10.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त।
7. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. निजी सचिव, विधि एवं न्यायिक कार्य विभाग, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 06.10.2022 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
13. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय (विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु)।
14. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

एवं संयुक्त शासन सचिव